

>

Title: Introduction of the Constitution (Amendment) Bill, 2012 (Amendment of Article 171).

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।
